

दिनांक 07.11.17

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को कई बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आए। प्रतीत होता है कि वादीगण अपनेदावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।



(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official